



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-एम.एच.-अ.-21032025-261821
CG-MH-E-21032025-261821

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 186]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, मार्च 20, 2025/फाल्गुन 29, 1946

No. 186]

NEW DELHI, THURSDAY, MARCH 20, 2025/PHALGUNA 29, 1946

भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड

अधिसूचना

मुंबई, 20 मार्च, 2025

भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (मध्यवर्ती) (दूसरा संशोधन) विनियम, 2025

फा. सं. सेबी/एलएडी-एनआरओ/जीएन/2025/237.—बोर्ड, भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड अधिनियम, 1992 (1992 का 15) की धारा 30 द्वारा प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एतद्वारा भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (मध्यवर्ती) विनियम, 2008 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित विनियम बनाता है, अर्थात्:-

- इन विनियमों को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (मध्यवर्ती) (दूसरा संशोधन) विनियम, 2025 कहा जा सकेगा।
- ये विनियम राजपत्र में इनके प्रकाशित होने की तारीख से लागू होंगे।
- भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (मध्यवर्ती) विनियम, 2008 में,-

(I) अध्याय-III के बाद और अध्याय-IV से पहले, निम्नलिखित अध्याय जोड़ा जाएगा, अर्थात्,-

“अध्याय - IIIग

“नफा-नुकसान और जोखिम के मान (रिस्क एंड रिटर्न मेट्रिक्स)” की पुष्टि

प्रावधानों का लागू होना

16घ. (1) इस अध्याय के प्रावधान केवल निवेश सलाहकारों, अनुसंधान विश्लेषकों (रिसर्च एनालिस्ट), किसी मान्यताप्राप्त स्टॉक एक्सचेंज के यहाँ सूची (पैनल) में शामिल एल्गो प्रोवाइडर, और उन मध्यवर्तियों (इंटरमीडियरी) के मामले में लागू होंगे, जिन्हें बोर्ड द्वारा निवेश सलाहकारों, अनुसंधान विश्लेषकों और एल्गोरिदिक ट्रेडिंग की सेवाएँ प्रदान करने की अनुमति दी गई हो।

स्पष्टीकरण:- इस अध्याय के प्रयोजनार्थ, एल्गो प्रोवाइडर का अर्थ होगा - एल्गोरिदिक ट्रेडिंग की सेवाएँ प्रदान करने की सुविधा उपलब्ध कराने वाला वह व्यक्ति, जो किसी मान्यताप्राप्त स्टॉक एक्सचेंज के यहाँ सूची (पैनल) में उसी प्रकार शामिल हो, जैसा उस मान्यताप्राप्त स्टॉक एक्सचेंज द्वारा बताया जाए।

“नफा-नुकसान और जोखिम के मान (रिस्क एंड रिटर्न मेट्रिक्स)” की पुष्टि

16ङ (1). विनियम 16घ में जिन व्यक्तियों का जिक्र है, उन्हें नफा-नुकसान (रिटर्न) या सेवाओं आदि को लेकर अपने दावे “नफा-नुकसान और जोखिम के मान (रिस्क एंड रिटर्न मेट्रिक्स)” [जिसकी पुष्टि “हुए नफा-नुकसान और रहे जोखिम की पुष्टि करने वाली एजेंसी” (पास्ट रिस्क एंड रिटर्न वेरिफिकेशन एजेंसी) का कार्य करने हेतु बोर्ड से मान्यताप्राप्त क्रेडिट रेटिंग एजेंसी (साख निर्धारण एजेंसी) द्वारा की गई हो] के तौर पर करने की अनुमति होगी।

(2) उप-विनियम (1) में “नफा-नुकसान और जोखिम के मान (रिस्क एंड रिटर्न मेट्रिक्स)” की पुष्टि के आधार पर दावा करने की जो बात कही गई है, वह उसी प्रकार किया जाएगा जैसा बोर्ड बताए।

उल्लंघन के मामले में कार्रवाई

16च. विनियम 16ङ के उप-विनियम (1) या उप-विनियम (2) का उल्लंघन किए जाने के मामले में, बोर्ड ऐसी कार्रवाई कर सकेगा जो वह ठीक समझे, जिसमें इन विनियमों के अध्याय-V के तहत की जा सकने वाली कार्रवाई भी शामिल है।”

बबीता रायडू, कार्यपालक निदेशक

[विज्ञापन-III/4/असा./1047/2024-25]

पाद टिप्पण :

1. भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (मध्यवर्ती) विनियम, 2008, अधिसूचना सं. एलएडी-एनआरओ/जीएन/2008/11/126538, द्वारा 26 मई, 2008 को भारत के राजपत्र, भाग-III, खंड-4 में प्रकाशित हुए थे।
2. भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (मध्यवर्ती) विनियम, 2008 तत्पश्चात् :-
 - क) 11 अगस्त, 2008 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (स्टॉक दलाल और उप-दलाल) (संशोधन) विनियम, 2008, अधिसूचना सं. एलएडी-एनआरओ/जीएन/2008/20/134766, द्वारा
 - ख) 14 जुलाई, 2009 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (मध्यवर्ती) (संशोधन) विनियम, 2009, अधिसूचना सं. एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2009-10/12/169546, द्वारा

- ग) 7 जनवरी, 2014 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड [विदेशी पोर्टफोलियो विनिधानकर्ता (निवेशक)] विनियम, 2014, अधिसूचना सं. एल.ए.डी.एन.आर.ओ./जी.एन./2013-14/36/12, द्वारा
- घ) 25 मई, 2016 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (मध्यवर्ती) (संशोधन) विनियम, 2016, अधिसूचना सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2016-17/006, द्वारा
- ङ) 21 नवम्बर, 2017 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (मध्यवर्ती) (संशोधन) विनियम, 2017, अधिसूचना सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2017-18/021, द्वारा
- च) 17 अप्रैल, 2020 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (रेग्युलेटरी सैंडबॉक्स) (संशोधन) विनियम, 2020, अधिसूचना सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2020/10, द्वारा
- छ) 21 जनवरी, 2021 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (मध्यवर्ती) (संशोधन) विनियम, 2021, अधिसूचना सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2021/07, द्वारा
- ज) 5 मई, 2021 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (मध्यवर्ती) (दूसरा संशोधन) विनियम, 2021, अधिसूचना सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2021/20, द्वारा
- झ) 3 अगस्त, 2021 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (रेग्युलेटरी सैंडबॉक्स) (संशोधन) विनियम, 2021, अधिसूचना सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2021/30, द्वारा
- ञ) 17 नवम्बर, 2021 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (मध्यवर्ती) (तीसरा संशोधन) विनियम, 2021, अधिसूचना सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2021/59, द्वारा
- ट) 1 अगस्त, 2022 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (मध्यवर्ती) (संशोधन) विनियम, 2022, अधिसूचना सं. सेबी/आईएडी-एन.आर.ओ./जी.एन./2022/91, द्वारा
- ठ) 29 अगस्त, 2024 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (मध्यवर्ती) (संशोधन) विनियम, 2024, अधिसूचना सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2024/201, द्वारा
- ड) 4 दिसम्बर, 2024 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (मध्यवर्ती) (दूसरा संशोधन) विनियम, 2024, अधिसूचना सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2024/216, द्वारा
- ढ) 6 फरवरी, 2025 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (मध्यवर्ती) (संशोधन) विनियम, 2025, अधिसूचना सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2025/226, द्वारा

संशोधित हुए थे।

SECURITIES AND EXCHANGE BOARD OF INDIA**NOTIFICATION**

Mumbai, the 20th March, 2025

SECURITIES AND EXCHANGE BOARD OF INDIA (INTERMEDIARIES) (SECOND AMENDMENT) REGULATIONS, 2025

F. No. SEBI/LAD-NRO/GN/2025/237.—In exercise of the powers conferred by section 30 of the Securities and Exchange Board of India Act, 1992 (15 of 1992), the Board hereby makes the following regulations to further amend the Securities and Exchange Board of India (Intermediaries) Regulations, 2008, namely: —

1. These regulations may be called the Securities and Exchange Board of India (Intermediaries) (Second Amendment) Regulations, 2025.
2. They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
3. In the Securities and Exchange Board of India (Intermediaries) Regulations, 2008,—
 - (I) after Chapter IIIB and before Chapter IV, the following Chapter shall be inserted, namely,—

“CHAPTER IIIC**VERIFICATION OF PAST RISK AND RETURN METRICS****Applicability**

16D. The provisions of this chapter shall be applicable only to Investment Advisers, Research Analysts, Algo Providers empaneled with a recognised stock exchange, and intermediaries permitted by the Board to provide the services of Investment Advisers, Research Analysts and Algorithmic Trading.

Explanation – For the purposes of this Chapter, an algo provider shall mean a person empaneled with a recognised stock exchange for providing the facility of algorithmic trading services, in the manner specified by the recognised stock exchange.

Verification of risk-return metrics

16E (1). The persons referred to in Regulation 16D shall be permitted to make claim of returns or performance in the form of risk and return metrics, which have been verified by a credit rating agency recognized by the Board to carry out the activity of a Past Risk and Return Verification Agency.

(2) Any claim in the form of verified risk or return metrics as referred to in sub-regulation (1) shall be made in the manner specified by the Board.

Action for Violation

16F. The Board may, in case of violation of sub-regulations (1) or (2) of Regulation 16E, take such action as it may deem fit including action under Chapter V of these regulations.”

BABITHA RAYUDU, Executive Director

[ADVT.-III/4/Exty./1047/2024-25]

Footnote:

1. The Securities and Exchange Board of India (Intermediaries) Regulations, 2008 was published in the Gazette of India, Part III Section 4 on May 26, 2008 vide notification No. LAD-NRO/GN/2008/11/126538.
2. The Securities and Exchange Board of India (Intermediaries) Regulations, 2008 was subsequently amended on: -
 - a) August 11, 2008 by the Securities and Exchange Board of India (Stock Brokers and Sub-Brokers) (Amendment) Regulations, 2008, vide notification No. LAD-NRO/GN/2008/20/134766.
 - b) July 14, 2009 by the Securities and Exchange Board of India (Intermediaries) (Amendment) Regulations, 2009, vide notification no. LAD-NRO/GN/2009-10/12/169546.
 - c) January 7, 2014 by the Securities and Exchange Board of India (Foreign Portfolio Investors) Regulations, 2014, vide notification no. LAD-NRO/GN/2013-14/36/12.
 - d) May 25, 2016 by the Securities and Exchange Board of India (Intermediaries) (Amendment) Regulations, 2016, vide notification no. SEBI/LAD-NRO/GN/2016-17/006.
 - e) November 21, 2017, by the Securities and Exchange Board of India (Intermediaries) (Amendment) Regulations, 2017, vide notification no. SEBI/LAD-NRO/GN/2017-18/021.

- f) April 17, 2020, by the Securities and Exchange Board of India (Regulatory Sandbox) (Amendment) Regulations, 2020, vide notification no. SEBI/LAD-NRO/GN/2020/10.
- g) January 21, 2021, by the Securities and Exchange Board of India (Intermediaries) (Amendment) Regulations, 2021, vide notification no. SEBI/LAD-NRO/GN/2021/07.
- h) May 5, 2021, by the Securities and Exchange Board of India (Intermediaries) (Second Amendment) Regulations, 2021, vide notification no. SEBI/LAD-NRO/GN/2021/20.
- i) August 3, 2021, by the Securities and Exchange Board of India (Regulatory Sandbox) (Amendment) Regulations, 2021, vide notification no. SEBI/LAD-NRO/GN/2021/30.
- j) November 17, 2021, by the Securities and Exchange Board of India (Intermediaries) (Third Amendment) Regulations, 2021, vide notification no. SEBI/LAD-NRO/GN/2021/59.
- k) August 1, 2022, by the Securities and Exchange Board of India (Intermediaries) (Amendment) Regulations, 2022, vide notification no. SEBI/LAD-NRO/GN/2022/91.
- l) August 29, 2024, by the Securities and Exchange Board of India (Intermediaries) (Amendment) Regulations, 2024, vide notification no. SEBI/LAD-NRO/GN/2024/201.
- m) December 4, 2024, by the Securities and Exchange Board of India (Intermediaries) (Second Amendment) Regulations, 2024, vide notification no. SEBI/LAD-NRO/GN/2024/216.
- n) February 6, 2025, by the Securities and Exchange Board of India (Intermediaries) (Amendment) Regulations, 2025, vide notification no. SEBI/LAD-NRO/GN/2025/226.